

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थीगण

मूलाराम

बनाम

अप्रार्थीगण

कानाराम वगैरह

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 41 / 2016

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
9.04.2016	<p>यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1 व 2 एव सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री इन्द्र सिंह राठौड़ ने पेश कर प्रकरण मे अस्थाई व्यादेश जारी करने हेतु एक पक्षिय बहस सुनने का निवेदन किया।</p> <p>वकील प्रार्थीगण की एक पक्षिय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मामल प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतित होता है। अतः अप्रार्थीगणों को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि मौजा तरनाउ के खेत ख.न. 468/1392 रकबा 18.14 बीघा व ख.न. 660/1393 रकबा 08.10 बीघा, ख.न. 368 रकबा 04.18 बीघा तथा मौजा दुगस्ताउ के खेत ख.न. 1629 रकबा 06.11 बीघा, ख.न. 1630 रकबा 02.19 बीघा, ख.न. 1633 रकबा 04.05 बीघा, ख.न.1643 रकबा 04.13 बीघा, व ख.न. 1644 रकबा 05.09 बीघा के रेकार्ड की यथास्थिति आगामी आदेश तक बनाई रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। नोटिस जरिये रजि0 डाक से भिजवाये जावे। पत्रावली दिनांक 28.05.2016 को पेश हो।</p> <p>4</p> <p>सहायक कलक्टर (एस. डी. एम.) जायल (नागौर)</p> <p>28.5.16</p> <p>रोठासीन अधिकारियों की मिटिंग में/प्रमुख प्रकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 28.5.16 को पेश करें।</p>	

तारीख दृश्य	दृश्य या कार्यवाही स्थिति का जवाब
21/8/16	वकील प्रार्थी का अपराधी सा. 182 की ओर से व जवाब प्रार्थी का वकील सुभाष कर्मा के पेश किए अपराधी सा. 3 की तलाबी हेतु नोटिस पेश हो। जवाब की दिनांक 29/8/16 से पेश हो।
29/8/16	वकुलाय उप। सा. 182 की अपराधी की पालना के दिनांक 26/9/16 को पेश हो।
26/9/16	वकुलाय उप। सा. 182 की अपराधी की पालना के दिनांक 26/10/16 को पेश हो।
26/10/16	वकुलाय उप। वकील प्रार्थी का अपराधी सा. 3 के नोटिस पेश करे। पेश होने पर जाही होकर मिसाल दिनांक 12/12/16 को पेश हो।
13/12/16	पथकार/पथकारान के अधिवक्ता दिनांक 12/12/16 को राजपत्रित अपकारा इनके पत्रावली उप। पेश हो। पीठाधीन अधिवक्ता की नियुक्ति अपकारा के अधिवक्ता पर गये हुए है, इसीलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 23/11/17 को प्रस्तुत करे।
23/1/17	वकुलाय उप। जल अडेसिका की पालना के पत्रावली दि. 28-4-17 को पेश हो।
28/4/17	पथकार/पथकारान के अधिवक्ता पीठाधीन अधिवक्ता की नियुक्ति अपकारा के अधिवक्ता पर गये हुए है, इसीलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 27-6-17 को प्रस्तुत करे।

तारीख	पथकार/पथकारान के अधिवक्ता
11/10/17	पीठाधीन अधिवक्ता की नियुक्ति अपकारा के अधिवक्ता पर गये हुए है, इसीलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 9-2-17 को प्रस्तुत करे।
9-2-17	वकुलाय उप। वकील प्रार्थी का अपराधी सा. 3 की तलाबी हेतु नोटिस पेश करे। पत्रावली दिनांक 5-3-17 को पेश हो।
12/2/17	वकुलाय उप। वकील प्रार्थी के अपराधी पर पत्रावली निवेदन किया कि पत्रावली में राशी का जो नाम है पत्रावली को जोड़े नहीं चालाना चाहते है इसलिए पत्रावली को अपराधी पत्रावली जोड़ने के लिए अपराधी पर पत्रावली का अधिवक्ता किया गया। वकील प्रार्थी व अपराधी की पत्रावली पत्रावली आज पेशी पर ली गयी वकील प्रार्थी व अपराधी के निवेदन पर पत्रावली जोड़ने के लिए निवेदन अपराधी की जानी है पत्रावली नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।